

फर्द अहकाम

चन्दालाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 301/24

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.09.2024	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया वहस प्रार्थी सुनी गई। दौराने वहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम महापुरा के नामान्तकरण संख्या 1372 स्वीकृत दिनांक 03.09.2024 हकत्याग द्वारा खसरा नम्बर 2227/1430, 2224/1429 व 2241/1463 में हकत्याग दर्ज किया गया। किन्तु हकत्याग पत्र 202403135102221 दिनांक 25.7.2024 द्वारा सिर्फ खसरा नम्बर 2227/1430 रकबा 0.2750 में ही हकत्याग किया गया था। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि संलग्न रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अनुसार जमाबन्दी में शुद्धि दर्ज करवाने की कृपा करे।</p> <p>वहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर आदेश दिये जाते है कि यदि ग्राम महापुरा के नामान्तकरण संख्या 1372 स्वीकृत दिनांक 03.09.2024 हकत्याग द्वारा खसरा नम्बर 2227/1430, 2224/1429 व 2241/1463 में हकत्याग दर्ज किया गया है तो पुनः खसरा नम्बरान् 2224/1429, 2241/1463 के राजस्व रिकार्ड को पुनः नामान्तकरण संख्या 1272 के पूर्व की स्थिति में किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

सुषमण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

